



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 08 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 03 मोबाइल फोन व अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त हेतु 13000 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट व 01 स्कूटी एक्टिवा होंडा नं0 DL-14SR-5833 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:--

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली



थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 08 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 03 मोबाइल फोन व अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त हेतु 13000 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट व 01 स्कूटी एक्टिवा होंडा नं0 DL-14SR-5833 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बागपत पर मु0अ0सं0 134/2026 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1)- रूपक पुत्र विक्रम निवासी ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत(हिस्ट्रीशीट संख्या 861/A)।

(2)-चिन्टू उर्फ आदित्य पुत्र नीरपाल निवासी ग्राम मतानत नगर थाना बालैनी जनपद बागपत।

(3)-परवेज पुत्र इलियास निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त रूपक(हिस्ट्रीशीट संख्या 861/A) का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 259/18 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2.मु0अ0सं0 74/18 धारा 147/323 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3.मु0अ0सं0 793/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4.मु0अ0सं0 794/18 धारा 414/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5.मु0अ0सं0 1482/18 धारा 120बी/147/148/149/302/34 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6. मु0अ0सं0 467/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7. मु0अ0सं0 1474/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त चिन्टू उर्फ आदित्य का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 173/23 धारा 307/452 भादवि थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

2. मु0अ0सं0 77/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त परवेज का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 141/19 धारा 67/64A आईटी एक्ट थाना कोतवाली बागपत

2-मु0अ0सं0 478/24 धारा 147/149/307/504 भादवि थाना कोतवाली बागपत
जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान- उपरोक्त 03 अभियुक्तों को दिनांक 04-03-2026 को समय रात्रि 1.12 बजे चमरावल रोड से दिल्ली रोड को जोडने वाले खडंजे थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

बरामदगी का विवरण-(अभियुक्तों से बरामद)

- 08 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर,
- 03 मोबाइल फोन
- अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त हेतु 13000 रुपये नगद
- 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट
- 01 स्कूटी एक्टिवा होंडा नं0 DL-14SR-5833

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय कुमार प्रभारी सर्विलांस सैल जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 816 शौकेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 390 गवेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 6- है0का0 555 जोनसन सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 7- है0का0 120 प्रदीप कुमार सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 153 वीरेन्द्र कसाना सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 9- है0का0 468 कुलदीप सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 10- का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 11-165 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 12-का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 13-का0 08 अनुज कुमार सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 14-का0 631 रक्षित कुमार सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 10 बोटल अवैध अंग्रेजी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 बोटल अवैध अंग्रेजी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 133/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. विनय कुमार उर्फ रवि पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बिलसन्डा थाना बिलसन्डा जनपद पीलीभीत हाल पता चमरावल रोड कस्बा व थाना जनपद बागपत ।
2. शेखर तोमर पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी अट्टा चिन्दौडी थाना रोहटा जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

- 05 बोतल (750 ml) BAGPIPER SUPERIOR WHISKY व 05 बोतल 8 PM SPECIAL (कुल 10 अवैध बोतल अंग्रेजी शराब उत्तर प्रदेश मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. है0का0 151 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2. है0का0 894 कपिल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3. है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

